असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (ii), तारीख 26 फरवरी, 1987 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(क) क्रम सं. 4 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| "4. | श्री विजय छिब्बर<br>उप सचिव, निर्यात संवर्धन,<br>(कृषि)<br>वाणिज्य मंत्रालय,<br>नई दिल्ली | सदस्य | वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 5. | श्रीमती बी. घोष<br>निदेशक (वित्त)<br>वाणिज्य मंत्रालय | सदस्य | वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए" |

(ख) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| "28 | श्री आर. हनुमंतराव<br>भागीदार,<br>मै. जयलक्ष्मी एक्सपोर्टस<br>डोर नं. 6—472<br>बाजार रोड, कोचीन । | सदस्य | मसाला निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए" |

(ग) पैरा के अंत में आने वाले दूसरे परन्तुक में, "क्रम संख्यांक 19क और 29" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"क्रम संख्यांक 4, 5, 19क, 28 क व 29" ।

[सं. 7/1/86-ईपी(कृषि-5)]
एम.आर. शिवरामन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल का.आ., का. आ. सं. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उसे का.आ. सं. 665(अ), तारीख 2-7-87 और का.आ. सं. 784(अ), तारीख 20.8.87 द्वारा संशोधित किया गया था ।

## MINISTRY OF COMMERCE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 88

S.O. 718(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government

hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 123(E) dated the 26th February, 1987 published in the Gazette of India, Extra-Ordinary Part II Section-3 sub-section (ii) dated the 26th February, 1987. In the said notification:

(a) for serial numbers 4 and 5 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted namely:

| | | |
|---|---|---|
| 4. Shri Vijay Chibber<br>Deputy Secretary<br>Export Promotion (Agriculture)<br>Ministry of Commerce, N. Delhi. | Member | To represent Ministry of Commerce. |
| 5. Smt. B. Ghosh<br>Director (Finance)<br>Ministry of Commerce. | Member | To represent Ministry of Finance." |

(b) after serial number 28 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

| | | |
|---|---|---|
| "28A. Shri R. Hanumantha Rao<br>Partner<br>M/s. Jayalakshmi Exports<br>Door No. 6472.<br>Bazar Road, Cochin. | Member | To represent Exporters of Spices." |

(c) In the second proviso to paragraph at the end, for the words, figures and letters, "Serial numbers 19A and 29", the following words, figures and letter shall be substituted, namely:

"serial numbers 4, 5, 19A, 28A, and 29."

[No. 7/1/86-EP(Agri. v)]

M.R. SIVARAMAN, Jt. Secy.

NOTE: The principal S.O. was notified vide S.O. No. 123 (E) dated the 26th February, 1987 and the same was amended vide S.O. No. 665(E) date 2-7-87 and S.O. No. 784E dated 20-8-87.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 21, 1988/आषाढ़ 30, 1910
No. 372] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 1988/ASADHA 30, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1988

का.आ. 719 (अ):—केन्द्रीय सरकार, औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और का.आ. 924 (अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1987 को अधिक्रान्त करते हुए, ऐसी प्रत्येक औषधि विनिर्माणकारी यूनिट को जो किसी केन्द्रीय तकनीकी प्राधिकरण या राज्य उद्योग निदेशालय या किसी अन्य समुचित प्राधिकरण के साथ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन लघु यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उक्त आदेश के प्रवर्तन से, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त आदेश की सीमरी अनुसूची के प्रवर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, निम्ननिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :—

(i) यह एक स्वतन्त्र यूनिट/कम्पनी है और ऐसे किसी अन्य उपक्रम को, जिसे औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों से इस प्रकार छूट नहीं दी गई है, समनुषंगी नहीं है या किसी तरह उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है ।

(ii) सूत्रयोग सम्बन्धित यूनिट/कम्पनी द्वारा अपने निजी ब्रांड नाम और ट्रेडमार्क अथवा किसी अन्य लघु उद्योग यूनिट के ब्रांड या ट्रेड नाम में विपणित किए गए हैं ।

(iii) लघु यूनिट के रूप में स्थायी रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ऊपर (i) और (ii) शर्तों के अनुपालन में घोषणा, विद्यमान यूनिटों की दशा में इस अधिसूचना की तारीख से 60 दिन की भीतर और नई यूनिटों की दशा में उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 60 दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

टिप्पण :

(i) उपरोक्त छूट औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के अधीन केवल प्रवर्ग 2 के सूत्रयोगों के सम्बन्ध में उपलब्ध है और उसके लघु यूनिट/कम्पनी न रहने पर अनुमेय होगी ।

(ii) छूट केवल उन उत्पादकों को दी गई है जिनका विनिर्माण उनके अपने कारखाने में उनके अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन या किसी अन्य लघु उद्योग यूनिटों के कारखाने में किया जाता है ।